मूल्य 60-00 रुपये

अनुक्रमांक....................

नामांकन क्रमांक | | | | | | | | | |

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मुख्य परीक्षा, 2012-13

62898

आवेदन-पत्र

परिपत्र आकार का छाया चित्र चिपकावें

समस्त छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक है

(छाया चित्र पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर एवं मुद्रा आवश्यक है)

छात्र संबंधित बाक्स में [√] चिन्हित करें

असंस्थागत परीक्षार्थी (Non-Collegiate Candidate) [ ]

परीक्षा का नाम.............................. माध्यम हिन्दी [ ] अंग्रेजी [ ]

चालान नं. .... बैंक शाखा ....

राशि.............................. दिनांक.............................(चालान की द्वितीय प्रति संलग्न करें ।)

परीक्षा केन्द्र..............................

(विश्वविद्यालय द्वारा भरा जावेगा)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम) .... (उपनाम)..............................

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (Name).............................. (Surname)..............................

पिता/पति का नाम (हिन्दी में) श्री.............................. (अंग्रेजी में)..............................

माता का नाम (हिन्दी में) .... (अंग्रेजी में)..............................

पता..............................

यदि स्थायी पता पृथक हो तो यहाँ लिखें.............................. परीक्षार्थी का दूरभाष क्रमांक ....

वर्ग : [सामान्य] [अनुसूचित जाति] [अनुसूचित जनजाति] [पिछड़ा वर्ग] जो लागू हो उस पर टिक (√) करें ।

लिंग [छात्र] [छात्रा] जो लागू हो उस पर टिक (√) करें ।

(कृपया वही प्रश्नपत्र भरें जिसमें सम्मिलित होना है) प्रायोगिक विषय का चयन संबंधित संस्था में पंजीयन के उपरांत करें ।

विषय का कोड *(स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों द्वारा इसे अनिवार्यतः भरा जाना है ।) (बी. एस-सी. (होम साइन्स) को छोड़कर)	परीक्षार्थी को प्रश्नपत्रों का पूरा विवरण परीक्षा योजना के अनुसार लिखना चाहिये **विषय/प्रश्नपत्र बी. ए./बी. एस-सी. भाग तीन के परीक्षार्थी निर्देश के पृष्ठ क्र. 8 का अवलोकन अवश्य करें**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

टीप :

1. **नामांकन प्रपत्र (जिन विद्यार्थियों का पूर्व में नामांकन नहीं हुआ है) तथा कम्प्यूटर फार्म परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ भरे जाना है । नामांकन का फार्म एवं कम्प्यूटर फार्म संलग्न हैं ।**
2. **असंस्थागत परीक्षार्थी ऐसे विषय/प्रश्नपत्र नहीं ले सकेगा जो संस्थागत छात्र/छात्राओं को महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाये जा रहे हैं ।**

*3. **विषय कोड की सूची सत्यापन प्रपत्र के पृष्ठ भाग (पेज क्रमांक 4) पर अंकित है । अतः स्नातक स्तर के परीक्षार्थी इसी अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर लिखें । स्नातक परीक्षाओं में जिन विषयों में कोड क्रमांक उल्लेखित नहीं है उनके कोड क्रमांक वि. वि. द्वारा भरे जावेंगे । ।**

4. बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी. अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंकसूची अवश्य संलग्न करें तथा संलग्न कम्प्यूटर फार्म में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंक लिखना अनिवार्य है । आवेदन जमा करते समय महाविद्यालय अवश्य जाँच करे ।

पूर्व परीक्षाओं का विवरण–(परीक्षार्थी निर्धारित सभी कॉलम में सही जानकारी अंकित करें । परीक्षाओं की अंकसूची की प्रति अवश्य संलग्न करें ।)

	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	अनुक्रमांक	वर्ष	कुल प्राप्तांक प्राप्तांक/पूर्णांक	अन्य विवरण
1.	10+2					
2.	प्रथम वर्ष					
3.	द्वितीय वर्ष					
4.	तृतीय वर्ष					
5.	पूर्वार्द्ध					

उन परीक्षार्थियों को जो कि इस परीक्षा के निकटतम पूर्व की परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय या म. प्र. बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से देकर विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, निम्नानुसार प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है :--

1. उत्तीर्ण की हुई परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति । **(स्नातक स्तर के तृतीय भाग के परीक्षार्थी भाग प्रथम तथा द्वितीय एवं स्नातकोत्तर अ... वर्ष के परीक्षार्थी स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की अंक सूचियां अनिवार्यतः संलग्न करें अन्यथा परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाब... परीक्षार्थी की होगी ।)**
2. पात्रता प्रमाण-पत्र की प्रति ।
3. प्रवजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
4. इन्दौर/धार/झाबुआ/खंडवा/खरगोन/बुरहानपुर एवं बड़वानी जिले के मूल निवासी का मूल प्रमाण-पत्र ।

संलग्न कागजात की संख्या (........

स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के छात्र/छात्राओं के लिये---

स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) में लिये प्रश्नपत्रों के नाम-- (1)........................ (2)........................

(3)........................ (4)........................

परीक्षा आवेदन पत्र के साथ चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(5)........................ (6)........................

(7)........................ (8)........................

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतः सत्य है तथा विश्वविद्यालय के नियम, आदेश एवं निर्णय सर्वथा मान्य होंगे । मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं अन्य किसी भी परीक्षा (सन् 2011) में सम्मिलित नहीं हो रहा/रही हूं । मुझे यह भी विदित... पिछले वर्ष/वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी इस वर्ष पुनः पूछा जा सकता है और यह कि कतिपय विषयों के पाठ्यक्रमों को इकाईयों में विभ... किया गया है और व्यापक विकल्प के स्थान पर प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

मुझे ज्ञात है कि असंस्थागत परीक्षार्थी ऐसे विषय/प्रश्नपत्र नहीं ले सकेगा जो संस्थागत छात्रों को महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाये जा रहे हैं ।

मैंने अपना आवेदन पत्र .... (प्रतिहस्ताक्षरण-अधिकारी) की से...

(संस्था का नाम जहां से अग्रेषित किया जा रहा है)

दिनांक................2013 को प्रस्तुत कर दिया है ।

....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

प्रमाण - पत्र

मेरे द्वारा प्रमाणित परीक्षार्थी की अंकसूची तथा प्रमाण-पत्र की प्रतियां इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं ।

असंस्थागत (Non-Collegiate) परीक्षार्थी के लिये

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

.... परीक्षा .... विश्वविद्यालय/परिषद् से वर्ष ....

उत्तीर्ण की है तथा उसके आधार पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सन् 2012-13 की .... परीक्षा में नियमान... सम्मिलित होने की पात्रता रखता है/रखती है ।

दिनांक 2013

हस्ताक्षर ....

महाविद्यालय की मुद्रा..

अग्रेषण अधिकारी/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

सत्यापन प्रपत्र

अनुक्रमांक..................

नामांकन क्रमांक

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मुख्य परीक्षा, 2012-13

परिपत्र आकार का छाया चित्र चिपकावें

समस्त छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक है

(छाया चित्र पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर एवं मुद्रा आवश्यक है)

छात्र संबंधित बाक्स में √ चिन्हित करें

असंस्थागत परीक्षार्थी (Non-Collegiate Candidate)

परीक्षा का नाम.. माध्यम हिन्दी अंग्रेजी

परीक्षा केन्द्र..
(विश्वविद्यालय द्वारा भरा जावेगा)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम)..................................(उपनाम)..................

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) (Name)..................................(Surname)..................

पिता/पति का नाम (हिन्दी में) श्री..................................(अंग्रेजी में)..................

माता का नाम (हिन्दी में)..................................(अंग्रेजी में)..................

पता..................................

यदि स्थायी पता पृथक हो तो यहाँ लिखें..................................परीक्षार्थी का दूरभाष क्रमांक ....

वर्ग : सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पिछड़ा वर्ग लिंग छात्र | छात्रा जो लागू हो उस पर टिक (√) करें ।

(कृपया वही प्रश्नपत्र भरें जिसमें सम्मिलित होना है) प्रायोगिक विषय का चयन संबंधित संस्था में पंजीयन के उपरांत ही करें ।

विषय का कोड *(**स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों द्वारा इसे अनिवार्यतः भरा जाना है ।**)	परीक्षार्थी को प्रश्नपत्रों का पूरा विवरण परीक्षा योजना के अनुसार लिखना चाहिये विषय/प्रश्नपत्र	प्रश्नपत्र होने का दिनांक	परीक्षा भवन में परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर	उत्तरपुस्तिका का क्रमांक	वीक्षक के हस्ताक्षर (परीक्षा भवन में)	वीक्षक का नाम
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

(वीक्षक परीक्षार्थी के हस्ताक्षर प्रतिदिन अभिप्रमाणित करेंगे)

अभिप्रमाणित

केन्द्राध्यक्ष..................

***टीप : विषय कोड की सूची पृष्ठ क्रमांक 4 पर अंकित है । अतः स्नातक स्तर के परीक्षार्थी इसी अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर लिखें ।**

यह प्रवेश-पत्र तब ही वैध माना जावेगा जबकि विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखता हो एवं अन्य सभी शर्तों की पूर्ति करता हो ।

परीक्षार्थियों के लिये

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

.... **परीक्षा, सन् 2012-13**

परिपत्र आकार का छाया चित्र चिपकावें

समस्त छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक है

(छाया चित्र पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर एवं मुद्रा आवश्यक है)

प्रवेश पत्र

(टिप्पणी : अनुक्रमांक एवं केन्द्र के अतिरिक्त परीक्षार्थी को समस्त पूर्तियां करनी है ।)

नामांकन क्रमांक.............................. अनुक्रमांक..............................

Enrolment No. Roll No.

(इसे परीक्षार्थी भरेंगे)

परीक्षार्थी का नाम.. पिता/पति का नाम श्री..

माता का नाम.. को परीक्षा का नाम..

परीक्षा में बैठने के लिये.. केन्द्र में प्रवेश दिया जाता है ।

प्रायोगिक विषय का चयन (जैसे भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत, सैन्य विज्ञान इत्यादि) करते समय परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने संबंधित महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य हेतु पंजीयन करा लिया है ।

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर-452 001

कुल सचिव

नोट : परीक्षा केन्द्र में मोबाईल लाना प्रतिबन्धित है । मोबाईल लेकर आने पर परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को इसे रखने की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

कृ.पृ.उ.

(उपाधि प्राप्त करने के लिये अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी इसकी पूर्ति करें ।)

स्पीड पोस्ट

सेवार्थ

जावक क्रमांक..............................

अनुक्रमांक.............................. परीक्षा.............................. वर्ष..............

नाम (हिन्दी में)..

नाम (अंग्रेजी में)..

पता..

स्थान.............................. जिला..............................

प्रेषक :
जावक लिपिक (परीक्षा विभाग)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर 452 001 (म. प्र.)

परीक्षार्थी द्वारा पालन किये जाने हेतु नियम

1. परीक्षार्थी को जैसे ही मुख्य उत्तर-पुस्तिका दी जावे, उसके मुख पृष्ठ पर वह अपना अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, विषय, प्रश्नपत्र इत्यादि जानकारी अविलम्ब लिखें ।
2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका के आवरण पृष्ठ के सीधे हाथ के ऊपर वाले कोने में निर्दिष्ट स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक तथा नामांकन क्रमांक लिखना चाहिये । अन्य किसी स्थान पर अनुक्रमांक/नामांकन क्रमांक या परीक्षार्थी की पहचान बताने वाला कोई भी चिन्ह नहीं लिखना/बनाना चाहिये ।
3. केवल नीली/काली स्याही में ही उत्तर लिखे जाने चाहिये । उत्तर-पुस्तिका में नीली/काली स्याही के अलावा अन्य किसी भी स्याही का उपयोग परीक्षार्थी के द्वारा अपनी पहचान बताये जाने का प्रतीक माना जायेगा । यह निर्देश चित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Presentation) पर लागू नहीं होगा ।
4. परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिये किसी भी परिस्थिति में दुबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जावेगी ।
5. प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को परीक्षा के तुरन्त बाद लिखित अभ्यावेदन के रूप में दी जावे ।
6. परीक्षार्थी को अपने साथ परीक्षा कक्ष में कोई भी लिखित सामग्री जैसे – पाठ्य पुस्तिका, नोट्स या कागज अथवा दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे मोबाइल लाना प्रतिबंधित है । इसके उल्लंघन पर अनुचित साधन का प्रकरण माना जावेगा ।
7. परीक्षार्थी द्वारा प्रश्नपत्रों या स्याही सोख पर कुछ भी लिखना मना है । इसके उल्लंघन पर अनुचित साधन का प्रकरण माना जावेगा ।
8. प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिये निर्धारित स्थान ही ग्रहण करेगा ।
9. परीक्षा समाप्ति के पहले कोई भी परीक्षार्थी प्रभारी अधीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट या परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा ।
10. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के अनुशासन में रहेंगे और उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करेंगे ।
11. उत्तर-पुस्तिका के पृष्ठों के दोनों ओर लिखा जाना आवश्यक है ।
12. आवेदन-पत्र में भरे गये विषयों/प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त परीक्षार्थी केन्द्र पर विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन नहीं कर सकता है अन्यथा उसका परीक्षा परिणाम रोक लिया जावेगा ।
13. परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिकाओं और प्रश्नपत्रों के वितरण के पश्चात् आपस में बातचीत नहीं करेंगे ।
14. वीक्षक, निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य किसी व्यक्ति के साथ परीक्षार्थी द्वारा अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये ।
15. पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों को पुनः पूछा जा सकता है । इस बारे में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
16. उपयोग में लाई गई पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या आवश्यक रूप से लिखी जावे ।
17. यदि परीक्षार्थी द्वारा कंडिका 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 एवं 14 का पालन नहीं किया गया तो यह अनुचित साधन का प्रकरण माना जावेगा ।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर-452 001

कुल सचिव

दे. अ. वि. मु. 96-70,000-12-2010

Computer Form

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE

(To be filled in by the candidate in his own handwriting)
USE BLOCK CAPITAL LETTERS ONLY

College/Centre Code

Roll No. (to be given by University)

Name of College/Centre : ....

Name of the Examination : ....

Note : All details should be written in clear handwriting in CAPITAL letters ENGLISH only. Read all footnotes before filling.

Enrolment No.	Male/Female	Attempts	Reg./Ex./Pvt.	Medium English/Hindi	Category	Blood Group
	M/F		R/E/P	E/H	Gen/SC/ST/OBC	O/A/B/AB +/–

Student's Name and Surname

छात्र यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा अंकित किया गया नाम पूर्व वर्ष की अंकसूची के अनुसार ही है ।

Shri/Smt/Kum

Father's/Husband's Name Shri

Mother's Name

Note : Details written here will be printed on Mark-sheets. Father's or Husband's name, should be written. Surname should be written at the end. In case of girls, Kum./Smt. should be written. Write M or F in the block. Sub-section of any paper should be written clearly.

Student's Address

PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH

Fees deposit details : Bank Code | Challan No. | Date | Amount in Rs.

Give following details : कम्प्यूटर फार्म की सभी प्रविष्ठियाँ (जो लागू हो) को अंकित करना अनिवार्य है । पूर्व वर्ष का अनुक्रमांक एवं प्राप्तांक-पूर्णांक की जानकारी अंकित करना अनिवार्य है । इनके अभाव में परीक्षा आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।

	Roll No.	Marks obtained	out of	Year of Passing
1st Year or Previous Year for PG :				
2nd Year :				

Subjects/Papers offered in the Examination	Code No. (UG)	Subjects/Papers offered in the Examination	Code No. (UG)
1.		7.	
2.		8.	
3.		9.	
4.		10.	
5.		11.	
6.		12.	

Note : If passed previous exam from other University Yes/No

Marks to be carried forward of subjects already cleared : Roll No.

Table below should be filled in by those candidates only who are repeaters in one or more subjects

Subject Description	Code	Th./Pr. (T/P)	Ist	IInd	IIIrd	Total	Out of

Date

Full Signature of the Candidate

समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों जिनका पूर्व में नामांकन नहीं हुआ है उनके द्वारा इसकी पूर्ति की जाना है ।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकन हेतु नामांकन प्रपत्र (Enrolment Form)

छात्र संबंधित बाक्स में [√] चिन्हित करें			
[ ]	छात्र	[ ]	छात्रा
[ ]	संस्थागत	[ ]	असंस्थागत
[ ]	हिन्दी माध्यम	[ ]	अंग्रेजी माध्यम

कार्यालय के उपयोग के लिये	
नामांकन क्रमांक	[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ]
केन्द्र	[ ][ ]

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल को छोड़ अन्य किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से आने वाले छात्रों को इस आवेदन के साथ प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate), अन्तर्वास शुल्क (Immigration Fee) तथा पात्रता प्रमाण-पत्र (Eligibility Certificate) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया जायेगा ।
2. संस्थागत छात्रों के नामांकन प्रपत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा अग्रेषित होकर 15 सितम्बर तक विश्वविद्यालय कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये ।
3. 30 सितम्बर के पश्चात् नामांकन प्रपत्र एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र केवल कुलपति महोदय की विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद नामांकन शुल्क रुपये 100-00 तथा विलम्ब शुल्क रुपये 200-00 कुल रुपये 300-00 जमा करने पर स्वीकार किये जा सकेंगे ।
4. स्वाध्यायी छात्र यह नामांकन प्रपत्र परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करें ।

प्रति,

कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

महोदय,

निवेदन है कि मुझे विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित करने की कृपा करें । इस सम्बन्ध में मैं यथोचित रूप से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूं :

1. पूरा नाम हिन्दी में श्री/श्रीमती/कुमारी .... (उपनाम) ....
2. पूरा नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) .... (Surname) ....
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
4. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में) ....
5. माता का नाम ....
6. घर का पता ....
7. विश्वविद्यालयीन अध्ययन शाला/महाविद्यालय का नाम जिसमें प्रवेश लिया ....
8. कक्षा जिसमें प्रवेश लिया .... प्रवेश सत्र .... प्रवेश तिथि ....
9. अर्हतादायक परीक्षा की अंक-सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
10. प्रवजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करें ।
11. पात्रता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
12. अंतर्वास शुल्क रुपये 30-00 की रसीद संलग्न करें ।
13. नामांकन शुल्क रुपये 100-00 रसीद क्रमांक .... दिनांक .... को .... महाविद्यालय/अध्ययन शाला में जमा किये हैं ।

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि छात्र/छात्रा ने .... परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसके आधार पर वह विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है ।

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
(अग्रेषण अधिकारी)

दिनांक .... महाविद्यालय

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मुख्य परीक्षा 2012-13

असंस्थागत (Non-Collegiate) एवं भूतपूर्व (Ex-Students) परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन हेतु निर्देश :

1. परीक्षा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के संबंध में प्रेस-विज्ञप्ति/सूचना पत्र का अवलोकन करें ।

2. परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र की पूर्ति स्वयं की जावे । आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य होने पर या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी । पृष्ठ क्रमांक 2 एवं कम्प्यूटर फार्म में दर्शाई गई परीक्षा की जानकारी निर्धारित कॉलम में अंकित करना अनिवार्य है । निर्धारित पूर्व वर्षों की अंकसूची की सत्यापित प्रति एवं अन्य दर्शाये गए प्रपत्र (जो लागू हो) संलग्न करना अनिवार्य है । इनके अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

3. **परीक्षार्थियों को चाहिये कि आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संबंधित परीक्षा के पाठ्यक्रम में दर्शाई गई परीक्षा योजना आदि का अनुशीलन भली भांति कर लें । वांछित जानकारी के अभाव में, अथवा नियमों के सम्यक् ज्ञान न होने से भी आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा । आवश्यक शुल्क, नामांकन प्रपत्र, प्रवजन प्रमाण-पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र एवं मूल/प्रमाणित अंक सूचियों के अभाव में भी आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है । मूल तथा प्रमाणित प्रतिलिपियों में जानबूझकर अनाधिकृत परिवर्तन करने अथवा किसी प्रकार का असत्य प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार परीक्षार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दंडित किया जा सकेगा । अंकसूचियों तथा उपाधियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अग्रेषण अधिकारी द्वारा ही सत्यापित होना चाहिये ।**

4. **जिन परीक्षार्थियों ने मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में निवास कर रहें हों और उन्हें इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र (Eligibility Certificate) जो कि निर्धारित शुल्क जमा करने पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने पर दिया जाता है, लेना होगा । यह ध्यान रहे बिना पात्रता प्रमाण पत्र के परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।**

5. **जिन असंस्थागत परीक्षार्थियों ने मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे हों और इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हों उन्हें परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ अपना मूल प्रवजन प्रमाण-अन्तर्वास शुल्क (Immigration fee) रु. 30/- सहित जमा करना होगा ।**

6. **प्रत्येक असंस्थागत परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगाः**

(i) जिलाध्यक्ष अथवा उप-जिलाध्यक्ष अथवा अनुविभागीय अधिकारी से यह दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र कि परीक्षार्थी इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का मूल निवासी है अथवा परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से पिछले बारह महीनों की अवधि में संबंधित जिले में निवास कर रहा है अथवा परीक्षार्थी के पिता/माता/अभिभावक/पति द्वारा परीक्षार्थी के इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण या शपथ-पत्र (affidavit) प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) जो परीक्षार्थी मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी अथवा ऐसे कर्मचारी पर आश्रित हो जिसका इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले के किसी स्थान पर स्थानान्तरण हुआ है, इस आधार पर निवास अवधि सम्बन्धी अपेक्षाओं में शिथिलता हेतु निवेदन करना होगा ऐसे स्थानान्तर के समर्थन में कार्यालय के उस प्रमुख से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जहां कि शासकीय कर्मचारी सेवारत है ।

टीप--उस परीक्षार्थी को इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले का मूल निवासी माना जावेगा :

(अ) यदि उसके माता पिता अथवा माता (पिता की मृत्यु के पश्चात) अथवा अभिभावक (माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में) अथवा विवाहित महिला होने की स्थिति में उसका पति परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से उक्त संबंधित जिले में सतत् कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि से निवास कर रहा हो ।

(ब) यदि वह अथवा उसका पिता या माता उक्त संबंधित जिले का निवासी हो जिसकी अचल सम्पत्ति वहीं हो, किन्तु केन्द्रीय अथवा मध्यप्रदेश शासन के अधीन वह अन्यत्र सेवारत हो ।

7. जो परीक्षार्थी गत वर्ष 2010 में नियमित विद्यार्थी के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला या क्षेत्राधिकार के सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा था और इस वर्ष की मुख्य परीक्षा 2011 में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो रहा है उसे इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले जिले के निवासी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. जिस परीक्षार्थी ने वर्ष 2010 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ जिलाध्यक्ष अथवा उप-जिलाध्यक्ष अथवा अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बुरहानपुर/बड़वानी एवं आलीराजपुर जिले का मूल निवासी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था उसे पुनः इस वर्ष निवास स्थान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

9. जो परीक्षार्थी भारत सरकार की जल, थल या वायुसेना में इन्दौर जिले अथवा क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले में ही कार्यरत है या भारत शासन या मध्यप्रदेश शासन की सेवा में इन्दौर जिले अथवा क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले में स्थित किसी विभाग में कार्यरत है उसे अपने स्थानीय विभागाध्यक्ष (Head of the Department) से यह प्रमाण-पत्र लेना होगा कि वह उक्त स्थान में स्थित कार्यालय में कार्यरत है और इन्दौर या क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले में ही निवास कर रहा है । ऐसे कर्मचारियों पर आश्रित परीक्षार्थी को भी इन्दौर जिले अथवा क्षेत्राधिकार के संबंधित जिले के निवासी का प्रमाण-पत्र स्थानीय विभागाध्यक्ष के द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना चाहिये ।

10. **वर्ष 1988 में कार्य परिषद्/समन्वय समिति के निर्णयानुसार समस्त संकायों के स्नातक स्तर पर (चिकित्सा, यांत्रिकी, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेद आदि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) पूर्ण द्वितीय परीक्षा के स्थान पर केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये ही पूरक परीक्षा आयोजित की जाना है । तद्नुसार पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 2011 में केवल एक विषय में ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये पूरक परीक्षा आयोजित की जावेगी ।**

11. (1) (क) जिस विद्यार्थी ने म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की 10+2 अथवा इसके समतुल्य अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसके पश्चात् एक अकादमिक वर्ष तक अध्ययन किया हो वह भाग प्रथम की परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा ।

(ख) जिस विद्यार्थी ने प्रथम भाग अथवा इसके समतुल्य अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उसके पश्चात् एक अकादमिक वर्ष तक अध्ययन किया हो उसे द्वितीय भाग की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी ।

(ग) जिस विद्यार्थी ने द्वितीय भाग अथवा इसके समतुल्य अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उसके पश्चात् एक अकादमिक वर्ष तक अध्ययन किया हो उसे तृतीय भाग की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी ।

(2) **कार्यालयीन आदेश क्र./शैक्ष/1668 दिनांक 26-7-2005 के अनुसार पत्राचार पाठ्यक्रम, खुला विश्वविद्यालय (Open University) प्रणाली पर आधारित आंशिक (मध्यावधि) परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है ।**

12. (1) इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत निवासी को ही असंस्थागत छात्र/छात्रा की श्रेणी में केवल निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है :--

(क) बी. ए. एवं एम. ए.

(ख) बी. एस-सी. (कम्प्यूटर साइन्स, इलेक्ट्रानिक्स, सैन्य विज्ञान, माइक्रोबायलाजी, कम्प्यूटर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रानिक्स मेंटेनेंस, औषधि रसायनशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी, बायो इन्फर्मेटिक्स, इनफार्मेशन टेक्नालॉजी एवं इण्डस्ट्रियल माइक्रोलॉजी विषय को छोड़कर)

(ग) बी. कॉम. (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषयों को छोड़कर), एम. कॉम.

(2) असंस्थागत परीक्षार्थी (भूतपूर्व छात्रों को छोड़कर) को यांत्रिकी, चिकित्सा, विधि, शिक्षा, आयुर्वेद एवं गृह विज्ञान (स्नातक-स्नातकोत्तर) संकाय की परीक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(3) गृह विज्ञान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं को स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी । विद्यार्थी जिस कक्षा में अनुत्तीर्ण हो उसी कक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में बैठने की अनुमति होगी । उक्त निर्णय शिक्षा सत्र 2007-08 से प्रभावशील है ।

13. **परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशः--** परीक्षार्थियों को नीचे दर्शाये अनुसार परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट बैंक की शाखाओं में चालान द्वारा जमा करना चाहिये । परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे परीक्षा शुल्क का ब्यौरा चालान में सुस्पष्ट रूप में लिखें ।

16. **नामांकन प्रपत्र :**

बी. ए. / बी. कॉम. / बी. एस-सी. / बी. एस-सी. (गृह विज्ञान) की कक्षाओं के विद्यार्थी तथा अन्य समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी द्वारा जिनका पूर्व में नामांकन नहीं हुआ है, नामांकन प्रपत्र आवेदन-पत्र के साथ भरे जाना है । नामांकन प्रपत्र संलग्न है ।

17. **कम्प्यूटर फार्मः**-- बी. ए. / बी. कॉम. / बी.एस-सी. / बी.एस-सी. (गृह विज्ञान) तथा अन्य समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षार्थियों द्वारा कम्प्यूटर फार्म परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ भरा जाना अनिवार्य है ।

18. **अग्रेषण अधिकारी (Forwarding Officer) :**

(अ) **भूतपूर्व छात्र/छात्राओं के लियेः**-- उसी संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/विश्वविद्यालयीन अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष जिसमें वे पूर्व में नियमित अर्थात् संस्थागत् छात्र के रूप में अध्ययन कर चुके हैं ।

(ब) **असंस्थागत परीक्षार्थियों के लियेः**-- सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/विश्वविद्यालयीन अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष जहां परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र लेना चाहता हो । कोई भी परीक्षार्थी अपना आवेदन-पत्र स्वयं अग्रेषित नहीं कर सकता है ।

19. वर्ष 2010 की मुख्य परीक्षाओं के लिये निम्नलिखित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग जो कि परीक्षा केन्द्र भी थे, के समक्ष दर्शायी गई कक्षाओं की परीक्षा आयोजित की गई थी :

क्र.	परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय का नाम	परीक्षाएं
1.	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर	बी. ए., एम. कॉम., एम. ए.
2.	इन्दौर क्रिश्चियन महाविद्यालय, इन्दौर	बी. ए., बी. कॉम.
3.	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (एम ए की क्लॉथ मार्केट कन्या महाविद्यालय की छात्राएं शामिल)	बी.ए., बी. कॉम., एम. कॉम., एम.ए., बी.एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स)
4.	प. म. ब. गुजराती कला एवं विधि महावि., इन्दौर	बी.ए.
5.	प. म. ब. गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम., एम. कॉम.
6.	प. म. ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर	बी. एस-सी., एम. एस-सी.
7.	शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स), एम. एस-सी. (होम साइन्स), एम. ए., एम. एस-सी., पी. जी. डिप्लोमा इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन, बी. लिब.
8.	देवी अहिल्या कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम.
9.	श्री वैष्णव वाणिज्य महावि., इन्दौर	बी. कॉम.
10.	विद्यासागर महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम.
11.	एम. के. एच. एस. गुजराती कन्या वाणिज्य महावि., इन्दौर	बी. कॉम., एम. कॉम.
12.	क्लॉथ मार्केट कन्या वाणिज्य महावि., इन्दौर	बी. कॉम.
13.	एम.बी. खालसा महाविद्यालय, इन्दौर	बी.कॉम., एम. ए.
14.	महाराजा रणजीतसिंह महाविद्यालय, इन्दौर	बी.एस-सी.
15.	आय. पी. एस. एकेडमी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर	बी. कॉम.
16.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., बी. एस-सी. होम साइन्स, एम. कॉम., एम. एस-सी., एम. ए.
17.	श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम.
18.	शासकीय महाविद्यालय, देपालपुर	बी.ए., बी. कॉम., एम. कॉम.
19.	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, सांवेर	बी.ए., बी.कॉम.
20.	शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (होल्कर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, इन्दौर)	बी. एस-सी.
21.	क्रिश्चियन एमीनेंट महाविद्यालय, इन्दौर	बी. एस-सी., बी. कॉम.
22.	कोठारी महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम., बी. कॉम. (आनर्स)
23.	क्लाथ मार्केट प्रोफेशनल कॉलेज, इन्दौर	बी. कॉम.
24.	गुजराती समाज इनोवेटिव महाविद्यालय, इन्दौर	बी. कॉम.
25.	सॉफ्ट विजन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइन्स, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर	बी. कॉम., एम. ए.
26.	रेनायसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट, इन्दौर	बी. कॉम.
27.	इस्वा कॉलेज, इन्दौर	बी. कॉम.

क्र.	परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय का नाम	परीक्षाएं
28.	शासकीय महाविद्यालय, बदनावर (धार)	बी. ए., बी. कॉम., एम. कॉम., बी. एड.
29.	शासकीय महाविद्यालय, धार	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम., एम. एस-सी.
30.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स)
31.	शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए.
32.	शासकीय महाविद्यालय, मनावर	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए.
33.	शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर	बी. ए., बी. कॉम., एम. ए.
34.	शासकीय महाविद्यालय, धरमपुरी	बी. ए., बी. कॉम.
35.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम.
36.	शासकीय महाविद्यालय, झाबुआ	बी.ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम.ए., एम. कॉम., एम. एस-सी.
37.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, झाबुआ	बी. ए., एम. ए.
38.	शासकीय महाविद्यालय, जोबट	बी. ए., बी. कॉम.
39.	शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद	बी. ए., बी. कॉम., एम. ए., एम. कॉम.
40.	शासकीय महाविद्यालय, थांदला	बी. ए., बी. कॉम., एम. ए., एम. कॉम.
41.	शासकीय महाविद्यालय, हरसूद	बी.ए., बी. कॉम., एम.ए.
42.	एस. एन. महाविद्यालय, खण्डवा (सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय, खण्डवा एवं पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खण्डवा के नियमित तथा भूतपूर्व परीक्षार्थी शामिल)	बी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी., एम.ए., एम.कॉम., एम.एस-सी., पी.जी.डी.सी.ए.
43.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खण्डवा	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स), एम. एस-सी. (होम साइन्स)
44.	शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर	बी. ए., बी. एस-सी., बी. कॉम., एम. कॉम.
45.	सेवा सदन महाविद्यालय, बुरहानपुर (मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बुरहानपुर, डॉ. जाकिर हुसैन एकेडेमिक महाविद्यालय, बुरहानपुर, कादरिया महाविद्यालय, बुरहानपुर के परीक्षार्थी शामिल)	बी. ए., बी. कॉम., एम. ए., एम. कॉम., बी. एस-सी., एम. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स)
46.	शासकीय महाविद्यालय, खरगोन (जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, खरगोन, देवी रूक्मणी कन्या महाविद्यालय, खरगोन के परीक्षार्थी शामिल)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम., एम. एस-सी.
47.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन	बी. ए., बी. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स), एम. ए.
48.	शासकीय महाविद्यालय, अंजड़	बी. ए., बी. कॉम., एम. ए.
49.	शासकीय महाविद्यालय, बड़वानी (शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम., एम. एस-सी., बी. एस-सी. (गृह विज्ञान)
50.	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	बी. ए., एम. ए.
51.	शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा (शासकीय महाविद्यालय, निवाली)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम., एम. एस-सी.
52.	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम.
53.	शासकीय महाविद्यालय, मण्डलेश्वर (श्री उमिया कन्या महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय, मण्डलेश्वर एवं कंवरवारा महाविद्यालय, मण्डलेश्वर के परीक्षार्थी शामिल)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., बी. एच. एस-सी., एम. ए., एम. कॉम.
54.	शासकीय महाविद्यालय, सनावद (आर. जी. बी. महाविद्यालय के परीक्षार्थी शामिल)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी.
55.	शासकीय महाविद्यालय, भीकनगांव	बी. ए.
56.	शासकीय महाविद्यालय, धामनोद (माँ नर्मदा महाविद्यालय, धामनोद)	बी. ए., बी. कॉम., बी. एस-सी., बी. एस-सी. (होम साइन्स)

परीक्षार्थी उनकी सुविधानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों से जहाँ पर वि. वि. द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भेजे गये हों, परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2011 के लिये घोषित परीक्षा केन्द्रों से ही परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी परीक्षार्थी को स्थानाभाव अथवा किसी आकस्मिक कारण से उनके द्वारा चाहे हुए केन्द्र से भिन्न कोई अन्य केन्द्र दे।

टीप: निम्नलिखित विषय लेने वाले विद्यार्थियों को उनके समक्ष दर्शाये गये केन्द्रों पर ही प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई केन्द्र नहीं दिया जा सकेगा। **समस्त प्रायोगिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को अपना नाम अक्टूबर-नवम्बर, 2010 के प्रथम सप्ताह तक प्रायोगिक अभ्यास के लिये संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्षों/प्रधानाचार्यों के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है।** यदि नाम पंजीकृत नहीं कराया गया और प्रायोगिक अभ्यास का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी :

मनोविज्ञान (बी. ए., एम. ए.)	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर
चित्रण एवं चित्रकला (बी.ए. एवं एम. ए.) मनोविज्ञान (बी. ए., एम. ए.) संगीत (बी. ए., एम. ए.)	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय, इन्दौर शासकीय कन्या महाविद्यालय, खण्डवा
गृह विज्ञान (केवल भूतपूर्व परीक्षार्थियों के लिए)	शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय, इन्दौर शासकीय कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर देवी अहिल्या कला एवं वाणिज्य महावि., इन्दौर शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार कदारिया महाविद्यालय, बुरहानपुर
भूगोल	शासकीय कला एवं वाणिज्य महावि., इन्दौर शासकीय महाविद्यालय, महू शासकीय कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (केवल महिला परीक्षार्थियों के लिये) शासकीय महाविद्यालय, धार शासकीय महाविद्यालय, झाबुआ शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद शासकीय महाविद्यालय, बड़वानी शासकीय महाविद्यालय, भीकनगांव शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा शासकीय महाविद्यालय, खरगोन

21. **ध्यान रहे कि--**

1. जहां पर प्रश्नपत्रों के उपभाग (Sub-section) हो वे सुस्पष्ट लिखें जावें । **असंस्थागत परीक्षार्थी ऐसे विषय/प्रश्नपत्र नहीं ले सकेगा जो संस्थागत छात्रों को सम्बद्ध महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाये जा रहे हैं ।** परीक्षार्थी यदि बिना विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तित कर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उनका परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र में भरे गये विषयों/प्रश्नपत्र के आधार पर ही घोषित किया जावेगा । इससे यदि परीक्षार्थी का अहित होता है तो उसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे न कि विश्वविद्यालय । **इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा बी. ए. /बी. एस-सी.** द्वितीय एवं तृतीय भाग में वे ही विषय/**प्रश्नपत्र लेना अनिवार्य है, जो उसने बी. ए./बी. एस-सी.** भाग प्रथम में लिये थे ।

2. **असंस्थागत परीक्षार्थी प्रायोगिक से संबंधित विषय लेकर परीक्षा में सम्मिलित उन्हीं केन्द्रों से हो सकेगा जहाँ पर संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होती हो ।**

3. बी. ए. / बी. एस-सी. / बी. कॉम. / एम. ए. / एम. एस-सी. / एम. कॉम. के परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे स्वयं अपनी प्रायोगिक परीक्षा का समय, स्थान तथा दिनांक महाविद्यालय (जिसे परीक्षा केन्द्र प्रायोगिक परीक्षा के लिये चुना गया है) के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर ज्ञात करें । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यालय से कोई पत्र व्यवहार न करें । विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा की तिथि की सूचना नहीं भेजी जावेगी एवं इसके लिये विश्वविद्यालय किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा ।

4. एम. ए., एम. एस-सी., एम. कॉम. के परीक्षार्थी विश्वविद्यालय कार्यालय से महाविद्यालयों में संस्थागत विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने वाले प्रश्न-पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । यदि परीक्षार्थी ने ऐसा प्रश्न-पत्र ले लिया हो जो महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसका परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त समझा जावेगा ।

22. **प्रश्नोत्तर का माध्यम:--** बी. ए., बी. एस-सी., बी. कॉम., बी. एस-सी. (गृह विज्ञान) एम. ए., एम. कॉम. परीक्षाओं में भाषा के अतिरिक्त अन्य प्रश्नपत्रों में प्रश्नोत्तर का माध्यम परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार अंग्रेजी अथवा हिन्दी रख सकता है । अतएव परीक्षार्थी को भलीभांति सोचकर अपना माध्यम आवेदन-पत्र में भरना चाहिये क्योंकि बाद में इसमें परिवर्तन नहीं हो सकेगा । यह भी ध्यान रखें कि सम्पूर्ण विषयों का माध्यम एक ही होगा ।

23. **शुल्क आगामी वर्ष के लिये सुरक्षित करने का नियम :--** जो परीक्षार्थी स्वयं की बीमारी से अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो तो उसका परीक्षा शुल्क वापिस नहीं हो सकेगा । परन्तु संतोषजनक कारण होने से यदि कुलपति महोदय आज्ञा दें तो परीक्षा शुल्क नियमानुसार काटकर आगामी वर्ष की परीक्षा हेतु नियमानुसार आरक्षित हो सकेगा । अन्य जमा शुल्क वापस एवं आरक्षित नहीं हो सकेगा । शुल्क आरक्षित कराने हेतु परीक्षार्थी को अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर इस तरह से भेजना चाहिए कि वह परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह की अवधि में विश्वविद्यालय कार्यालय में चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ पहुंच जावे । परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अथवा परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । परीक्षार्थी की बीमारी के प्रकरण में आवेदन-पत्र के साथ सक्षम चिकित्सा अधिकारी (Authorised Medical Practioner) का प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न करना चाहिये ।

टिप्पणी : (1) जिन परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे उनका शुल्क नियमानुसार आवश्यक कटौत्री करके जुलाई/अगस्त 2011 में वापस कर दिया जावेगा बशर्ते शुल्क वापसी प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में शुल्क भरने के 6 माह की अवधि में प्राप्त होना चाहिये ।

(2) **जिन परीक्षार्थियों को 2010 की परीक्षा शुल्क को सुरक्षित करने की सुविधा आगामी परीक्षा 2011 के लिये दी गई है वे परीक्षा शुल्क के अंतर राशि जो भी हो भूतपूर्व छात्र के अनुमति शुल्क रुपये 50/- एवं असंस्थागत परीक्षार्थी के अनुमति शुल्क रु. 200/- की राशि जमा करें। शुल्क पुष्टिकरण के लिये प्रार्थी को तद्विषयक पत्र मूलतः लगाना होगा । ऐसे परीक्षार्थी अपने आवेदन पत्र पर सुरक्षित शुल्क लिखें। यदि परीक्षार्थी सुरक्षित शुल्क सम्बन्धी विश्वविद्यालय का पत्र परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं करेगा तो उसे पूरा शुल्क देना होगा।**

(3) यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर चुका है और बाद में आवेदन पत्र वापिस लेना चाहता है तो उसे परीक्षा हेतु भरा गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा ।

24. जो परीक्षार्थी भूतपूर्व छात्र (ex student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उसी महाविद्यालय से जहां वह नियमित छात्र था तथा वही विषय एवं प्रश्नपत्र लेना होंगे जो संस्थागत छात्र के रूप में एक बार लेकर अनुत्तीर्ण हो चुका है तथा जो विश्वविद्यालय के प्रचलित पाठ्यक्रम में निर्धारित है । **विषय परिवर्तन अथवा परीक्षा केन्द्र (महाविद्यालय) बदलने पर उसे भूतपूर्व छात्र नहीं माना जावेगा ।**

25. परीक्षा आवेदन-पत्र में विषय, उनके उपभाग (Sub-Section), केन्द्र एवं माध्यम आदि भलि भांति विचार कर लिखें, क्योंकि परीक्षा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

26. **कोई भी परीक्षार्थी एक साथ एक ही वर्ष में दो परीक्षाएं नहीं दे सकेगा ।**

27. पूर्व परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा में अन्तराल (गैप) होने की स्थिति में परीक्षार्थी इस आशय का घोषणा पत्र दें कि "मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .... से .... तक न तो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय से पढ़ाई जारी रखी थी । मुझे उक्त अवधि में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया था । उपरोक्त माहिती यदि असत्य पाई गई तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जो भी दंड दिया जावेगा वह मुझे मान्य होगा ।"